न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 456/2019
अनवान : –

1. तुलछाराम पुत्र अर्जनराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. दुनीराम पुत्र अर्जनराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**
श्री कुलदीप सिंह खुडिया अधिवक्ता **प्रतिवादी 1**

निर्णय दिनांकः 16/12/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा गोरखाना तहसील नोहर के खाता स० 83/91 के ख0न0 39/1 की 5.0330 हैक्ट ख0न0 188/1 की 5.5280 हैक्ट ख0न0 218/1 की 3.4150 हैक्ट ख0न0 356 की 1.6950 हैक्ट ख0न0 357 की 3.2880 हैक्ट ख०न० 437/2 की 5.4000 हैक्ट ख0न0 480 की 0.3790 हैक्ट, ख0न0 481 की 0.5060 हैक्ट कुल तादादी 25.2420 हैक्ट भूमि स्थित है जिसका वादी स्वंय खातेदार काश्तकार है।

मौजा गोरखाना तहसील नोहर के खाता सं० 86/283 के ख0न0 433/1 की 2. 2130 हैक्ट ख0न0 436 की 1.9730 हैक्ट कुल तादादी 4.1860 हैक्ट भूमि स्थित है। जिसका प्रतिवादी स० 1 दुनीराम पुत्र अर्जनराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर खातेदार काश्तकार है। वादी व प्रतिवादी स० 1 दोनो एक ही परिवार के सदस्य है तथा दोनो भाई–भाई है तथा दोनो भाईयों ने कृषि भूमि का अलग–अलग खाता तक्सील करवा रखा है। तथा वाद भूमि अलग–अलग रूप से काश्त करते आ रहे है। तथा अपनी–अपनी भूमि की सींव व डोल बना रखी है तथा मुताबिक तक्सीम के अनुसार वाद भूमि काश्त करते आ रहे है।वादी ने अपनी वाद भूमि को समतल व उपजाउ बना रखी है तथा वाद भूमि की अलग–अलग सींव डोल बना रखी है तथा प्रतिवादी स० 1 झगडालु [illegible] है तथा वादी के खेत की बनी सींव को मिस्मार व नष्ट करने पर तुला [illegible] में ईन्ट डालकर मकानात बनाने की योजना बना रहा है। इस[illegible] खिलाफ स्थाई निषे[illegible]जारी कराने का मजाज है कि वादी की सींव नष्ट ना करे। एवं वा[illegible] कृषि में ईन्ट आदि [illegible] डाले यही बिनाय दावा है। वादी की आजिविका का जरिये उक्त कृषि भूमि है तथा वादी शान्ति प्रिय व्यक्ति है तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 17:30:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी नोहर Rahul

प्रतिवादी स० 1 आये दिन वादी के साथ सींव डोल के लिए झगडा रखता है तथा सींव तोड़कर मिस्मार करने पर उतारू है तथा वादी की सींव में इन्ट डालकर मकानात बनाने की योजना बना रहा है तथा ऐसा करने में प्रतिवादी कामयाब हो जाता है तो वादी को ना पुरा होने वाला नुक्शान होगा इसलिए वादी प्रतिवादीगण के खिलाफ सींव व डोल नष्ट न करने की स्थाई निषेधज्ञा जारी करवापाने का अधिकारी है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 की तरफ से अधिवक्ता श्री कुलदीप खुडिया उपस्थित जवाब पेश नही करने पर जवाब बंद किया गया। अधिवक्ता वादी ने निवेदन किया की साक्ष्य नही करवाना चाहते है मैरिट के आधार पर निर्णय पारित किया जावे।

हमने पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादी के नाम भुमि दर्ज है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों के मुताबिक वादी व प्रतिवादी स0 1 एक दुसरे के चिपते खेत पड़ौसी है। वादी का कथन है कि प्रतिवादी स0 1 द्वारा वादी की भूमि की सींव व डोल को मिस्मार किया जा रहा है एवं वादी की भूमि पर प्रतिवादी स0 1 काबिज होना चाहता है लेकिन अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से यह साबित नही है कि प्रतिवादी स0 1 द्वारा वादी के कब्जा काश्त में दखल दिया जा रहा हो या सीवं व डोल को मिस्मार किया गया हो। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित नही होने के कारण खारिज योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक ....16/12/25..... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 17:30:00 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 456/2019
अनवान : –

1. तुलछाराम पुत्र अर्जनराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. दुनीराम पुत्र अर्जनराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 456 सन 2019 निर्णय दिनांक 16/12/25

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक ....16/12/25.... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 17:30:00 IST
Reason: SelfAttested